RAJYA SABHA

Monday, the 5th December^ 1960/the 14th *Agrahayann.* 1882 *(Saka).*

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*173. I The questioner *(Shri N. R. Malkani) was absent. For answer,* vide *col.* 803 infra.]

♦174. SHRI P. N. RAJABHOJ: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether the Union Government have approved the Malaprabha Project in Mysore;

(b) whether the Government of Mysore has been asked by the Centre to undertake the work; and

(c) if so, by when the work is likely to be completed and whether the Government of Mysore has undertaken to complete it in due time?

THE DEPUTY MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (SHRI J. S. L. HATHI) : (a) No Sir, not so far.

(b) and (c) Do hot arise.

श्री पां० ना० राजभोज : क्या मंत्री बतायेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितने रुपय लगेंगे और इससे कितनी जमीन इरीगेट होगी ?

श्री ज० ला० हाथी : प्रोजेक्ट २० करोड़ रुपये का है और उससे ३ लाख एकड़ जमीन इरीगेट हो सकेगी ।

श्री पां० ना० राजभोज : प्रोजेक्ट से कौन कौन से प्रदेश को फायदा होगा ?

श्री ज० ला० हाथी : बलगांव डिस्ट्रिक्ट को ।

श्री पां० ना० राजभोज : इस प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र राज्य में कितने एकड़ तक इरीगेट कर सकते हैं, क्या आप कृपा करके कुछ बता सकेंगे ?

श्री ज० ला० हाथी : महाराष्ट्र या मैसूर ? प्रोजेक्ट तो मैसूर राज्य का है ।

क्षेत्रीय डाक तार परामर्शदात्री समितियां

*१७५. **श्री नवाबसिंह चौहान :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय डाक-तार परामर्शदात्री समितियों का विधान और उनकी नियमावलि क्या है ; और

(ख) क्या इन समितियों की बैठकों के लिये कोई गणपूर्ति नियत की गई है ; यदि नहीं तो क्यों ?

†[REGIONAL POST AND TELEGRAPH ADVISORY COMMITTEES

•175. SHRI NAWAB SINGH CHAU-HAN: Will the Minister of TRANSPORT AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what are the constitution and rules of the Regional Post and Telegraph Advisory Committees; and

(b) whether any quorum has been fixed to constitute the sittings of these committees; if not, why not?]

परिवहन तथा संचार मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) संविधान की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३१, अनुपत्र संख्या १३]**

†[ ] English translation.

(ख) जी नहीं । ये केवल सलाहकार समितियां हैं और सिर्फ सिफारिशें ही कर सकती हैं । अतः इन बैठकों के लिए कोई कोरम नियत करना आवश्यक नहीं समझा गया । फिर भी कोरम नियत करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

t[(a) A copy of the Constitution is laid on the Table of the Sabha. *[See* Appendix XXLXI, Annexure No. 13.]

(b) No. These are purely advisory bodies and they can only make recommendations and hence it was not considered necessary to fix any quorum for the meetings. However the question of fixation of quorum is under consideration.]

श्री नवाबसिंह चौहान : वे सिफारिशें भी जब इस कमेटी में होती हैं तो बहुमत और अल्पमत में हुआ करती हैं ? ऐसी हालत में क्या कमेटी के लिये कोरम का होना जरूरी नहीं है ?

DR. P. SUBBARAYAN: Well, Sir, these are purely advisory bodies and I do not see any reason why quorum is necessary, but we are considering the question whether quorum can be fixed for these meetings.

श्री नवाबसिंह चौहान : क्या यह समझ लिया जाय कि ऐसी हालत में जब कि कोरम निश्चित नहीं है तो अगर एक आदमी भी हो जाय तो भी कमेटी की कार्यवाही ठीक समझी जायगी ?

DR. P. SUBBARAYAN: Well, Sir, it depends on the people's anxiety to put forward their complaints. If they do not attend those meetings, we cannot help it.

श्री नवाबसिंह चौहान : मेरा मतलब यह है कि अगर एक ही मेम्बर कमेटी में शामिल हो तब भी क्या कमेटी कि सिफारिश ठीक मानी जायेगी ?

DR. P. SUBBARAYAN: Well, Sir, th^re are no proceedings in the sense in which the hon. Member thinks, but what is wanted is really to know the public feeling about the various things happening in the Department and if they are so anxious about it, they should attend those meetings.

श्री किशोरी राम : एक साल के अंदर इस कमेटी की मीटिंग कितनी मर्तबा होती है ?

DR. P. SUBBARAYAN: As often as I they want, Sir.

श्री किशोरी राम : इस समिति में कितने सदस्य हैं ?

DR. P. SUBBARAYAN: I haven't got the figures with me, Sir.

PANDIT S. S. N. TANKHA: What is the usual size of these Committees, and is it not a fact that out of the total number there are as many as four or five Members of Parliament on each of these Committees and as such would it not be right on the part of the authorities convening the meetings to look to the convenience of such Members in the fixation of dates of those meetings?

DR. P. SUBBARAYAN: Sir, there are Members of Parliament on it, and they have been put down as representatives of the People, and naturally we expect them to attend these meetings.

श्री किशोरी राम : क्या ये कमेटियां खास खास जगह पर हैं या सारे हिन्दुस्तान में हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां जहां ये हैं उनका सारा ब्यौरा एक स्टेटमेन्ट में जो कि सभा पटल पर रखा गया है, दिया हुआ है ।

सहकारी कृषि तथा सहकारी कर्जे के कार्यक्रम को अग्रसर करना

*१७६. **श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

ff 1 English translation (Read out in the House by the Minister of Transport and Communications, Dr. P. Subbarayan).